

अविलंब निर्गत



सत्यमेव जयते

प्रेस विज्ञप्ति



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना का प्रतिवेदन

(स्थानीय निकायों पर 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक तकनीकी
निरीक्षण प्रतिवेदन)

बिहार सरकार



विस्तृत हिन्दी प्रतिवेदन के लिए क्यू. आर. कोड स्कैन करें

प्रेस विज्ञापित

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार से संबंधित वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन 2020-21 अवधि हेतु 13.07.2023 को बिहार विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के इस प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं (पं.रा.सं.) व शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों से संबंधित उपलब्धियाँ शामिल हैं। इसमें पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित उपलब्धियाँ भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश निम्नवत है:-

1. पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा (डी.एल.एफ.ए) ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान 8,638 पं.रा.सं. में से केवल 3,362 पं.रा.सं. के लेखाओं की लेखापरीक्षा की थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 के लिए क्रमशः 2,161 व 8,638 पं.रा.सं. के ऑनलाइन लेखापरीक्षा के विरुद्ध मार्च 2022 तक क्रमशः 2,136 इकाईयों (98.84 प्रतिशत) व 2,807 इकाईयों (32.5 प्रतिशत) का लेखापरीक्षा किया गया था। मार्च 2022 तक डी.एल.एफ.ए के अंतर्गत केवल 69 अंकेक्षक (22 प्रतिशत) कार्यरत थे जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 314 थी।

(कड़िका 1.5)

❖ कार्यो, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन

बिहार सरकार के विभागों ने (सितंबर, 2001) संविधान की ग्याहरवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों/कार्यों के संदर्भ में अपने संबंधित प्रकार्य पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया तथा इन कार्यो/उप-कार्यों का स्तरवार गतिविधि मानचित्रण तैयार किया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार ने पाया कि पं.रा.सं. के तीनों स्तरों द्वारा किए जाने वाले कार्यो व दायित्वों के हस्तांतरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं पं.रा.सं. द्वारा अपनाए जाने के लिए स्पष्ट एवं व्यवहारिक नहीं थे व पं.रा.सं. को शक्तियों के प्रभावी प्रतिनिधायन के लिए संबंधित विभागों को स्पष्ट परिचालन दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2019) दिया था। हाँलाकि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं देखी गई।

पं.रा.सं. अपने स्वयं के संसाधनों से राजस्व आरोपित करने एवं संग्रहित करने में अगस्त 2021 तक सक्षम नहीं थे क्योंकि बिहार सरकार ने राज्य वित्त आयोगों की अनुशंसा एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में प्रासंगिक प्रावधानों के बावजूद उन दरों को निर्दिष्ट नहीं किया था जिन पर कर/गैर-कर राजस्व संग्रहित किया जाना था।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के पास सौंपे गए कार्यो के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मी नहीं थे। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव के 6,055 पद (स्वीकृत पद संख्या 8,419 का 71.92 प्रतिशत) रिक्त थे जबकि जून 2022 तक राज्य के 534 प्रखंडों में 308 प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी कार्यरत थे।

(कड़िका 1.3.3)

❖ *निधियों की उपयोगिता*

पंचायती राज विभाग ने वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2020-21 के विभिन्न योजना मदों के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को ₹ 42,940.69 करोड़ राशि का अनुदान जारी किया था परन्तु पंचायती राज संस्थाओं ने मार्च 2022 तक मात्र ₹ 17,917.69 करोड़ (42 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए थे।

(कंडिका 1.7.3)

❖ *सार आकस्मिक (ए.सी.) / विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) बिलों से संबंधित मामलें*

जुलाई 2022 तक वित्तीय वर्ष 2002-03 से 2021-22 के दौरान ए.सी. बिलों के माध्यम से निकासी की गई ₹ 97.18 करोड़ की राशि (30 सितंबर 2021 तक) के संबंध में डी.सी. बिल समायोजन के लिए लंबित थी।

(कंडिका 1.8.5.1)

2. पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ जिला परिषद्, बेगूसराय द्वारा नवनिर्मित वाणिज्यिक भवनों, दुकानों, मैरिज हॉल और गोदामों को स्वयं के स्रोतों से आय अर्जित करने के लिए पट्टे पर देने में विफलता के कारण ₹ 2.40 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.1)

❖ ग्राम पंचायत, पटना द्वारा सड़क के निर्माण के संबंध में अग्रिम समायोजन एवं अनुदान संबंधित कोडल प्रावधानों का पालन न किए जाने के कारण सरकारी धन ₹ 7.33 लाख का दुर्विनियोजन हुआ।

(कंडिका 2.2)

❖ जिला परिषद्, सारण ने एक निविदादाता को उसकी भूमि पर निर्मित दुकानों/हॉल का आवंटन करके, निविदादाता द्वारा आवंटन की शर्तों का पालन न करने के बावजूद अनुचित लाभ पहुंचाया। आगे, आवंटन के बाद निविदादाता ने निविदा राशि में से ₹ 96 लाख जमा नहीं किया।

(कंडिका 2.3)

❖ दो पंचायत समिति एवं दो ग्राम पंचायत विभागीय रूप से वित्त आयोग अनुदान एवं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित कार्यों की वास्तविक भौतिक स्थिति का आकलन कार्यकारी अभिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.03 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.4)

❖ जिला परिषदों द्वारा आवासीय अथवा सरकारी उपयोग के लिए निरीक्षण बंगलों का उपयोग करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों से निरीक्षण बंगलों का किराया वसूलने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 73.49 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(कंडिका 2.5)

❖ जिला परिषद्, सुपौल द्वारा अग्रिमों के भुगतान एवं समायोजन के संबंध में वित्तीय नियमों का पालन करने में विफलता तथा विकास कार्यों के निष्पादन पर निगरानी की कमी के परिणामस्वरूप अधूरे कार्यों पर ₹ 82.44 लाख के निष्फल व्यय के अतिरिक्त ₹ 71.95 लाख के शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ।

(कंडिका 2.6)

3. बिहार में शहरी स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही तंत्र एवं वित्तीय प्रतिवेदन मामलों की एक सामान्य रूपरेखा

❖ कार्यों, निधियों एवं कर्मियों का प्रतिनिधायन

12वीं अनुसूची में निर्दिष्ट 18 कार्यों में से केवल 13 शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संपादित किए जा रहे थे जबकि शेष पाँच कार्य/गतिविधियां अभी भी बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा की जा रही थीं। शहरी स्थानीय निकायों के कार्य बिहार सरकार के कार्यात्मक विभागों के साथ अतिव्यापित थे तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के 29 वर्षों के बाद भी शहरी स्थानीय निकाय अपने संपूर्ण अधिदेशित कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे।

केन्द्र/राज्य सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को उनके अधिदेशित कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न शीर्षों जैसे केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं राज्य योजना आदि के अंतर्गत निधियां प्रदान की थीं। स्वयं के स्थापना व्यय को वहन करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों की सरकारी अनुदानों पर निर्भरता बढ़ रही थी।

राज्य में शहरी स्थानीय निकायों के पास प्रतिनिधायित कार्यों के निर्वहन के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। अप्रैल 2022 तक श.स्था.नि. के लिए 2,982 पद स्वीकृत किए गए थे जिनमें से केवल 526 पद भरे गए थे तथा 2,456 पद (कुल पदों का 82 प्रतिशत) रिक्त पड़े थे।

(कंडिका 3.3.2)

❖ विभिन्न समितियों का गठन

राज्य की नगरपालिकाओं में नगरपालिका लेखा समिति, विषय समिति व वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया था।

(कंडिका 3.4.)

❖ महालेखाकार (ले.प.) के द्वारा जारी नि.प्र. पर असंतोषप्रद अनुक्रिया

179 नि.प्र. में निहित कुल 4,829 लेखापरीक्षा कंडिकाओं में से केवल 935 कंडिकाओं (19 प्रतिशत) का निपटान किया गया था जबकि ₹ 8,669.35 करोड़ की 3,894 कंडिकाएँ मार्च 2022 तक लंबित पड़ी हुई थीं।

(कंडिका 3.6.1)

❖ उपयोगिता प्रमाण पत्र

नगर विकास एवं आवास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 10,952.92 करोड़ के अनुदान को स्वीकृति दी थी परन्तु मार्च 2022 तक समायोजन के लिए ₹ 4,984.78 करोड़ राशि (46 प्रतिशत) के उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित पड़े थे।

(कंडिका 3.7.5)

4. शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

❖ पटना नगर निगम द्वारा स्व निर्धारण योजना के तहत गृह का मूल्यांकन नहीं किए जाने के कारण/गृह के स्वामी से जुर्माना वसूल नहीं किए जाने से राजस्व की हानि, ₹ 0.60 करोड़।

(कंडिका 4.1)

- ❖ पटना नगर निगम (प0न0नि0) द्वारा घर-घर कचड़ा संग्रहण सेवाएँ प्रदान करने हेतु उपभोक्ता शुल्क की वसूली में विफल होने के कारण कम से कम ₹ 8.92 करोड़ राजस्व की हानि हुई।
(कंडिका 4.2)
- ❖ राजीव आवास योजना के कार्यान्वयन को सुगमता प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) को हुए परामर्श शुल्क के भुगतान पर नजर रखने में पटना नगर निगम विफल रहा जिसके फलस्वरूप (क) ₹ 46.19 लाख का अधिक भुगतान एवं (ख) पी.एम.यू. को ₹ 12.32 लाख के सेवा कर का अनियमित भुगतान हुआ।
(कंडिका 4.3)

प्रतिवेदन से संबंधित आगे की जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

श्री शिव शंकर, प्रवक्ता

उप-महालेखाकार/ए.एम.जी.-V

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

दूरभाष- 0612-2223725

फैक्स- 0612-2506223

वेबसाइट- www.ag.bih.nic.in

ई-मेल- agaubihar@cag.gov.in

श्री कुंदन कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (मीडिया अधिकारी)

मो.- 9431624894